212

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषय :– पथ निर्माण विभाग में विटुमेन आपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

1. पथों के निर्माण एवं संधारण कार्य हेतू विटुमेन एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। पथ निर्माण/संधारण की लागत का लगभग 30 प्रतिशत व्यय विटुमेन पर होता है। अतः पथ निर्माण परियोजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वियन काफी हद तक विटुमेन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

2. वर्तमान संकल्प 4814 (S) दिनांक–10.05.06 के तहत विटुमेन का क्रय संवेदक के द्वारा राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से, उनके बिहार में अवस्थित डम्प से किया जाता रहा है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियाँ आवश्यकतानुसार विटुमेन की आपूर्ति बिहार में खोले गए डम्प से नहीं कर पाते है। भारत पेट्रोलियम का0 लि0 (B.P.C.L) द्वारा तो अभी तक बिहार में डम्प भी अधिस्थापित नहीं किया गया हैं। वर्तमान में I.O.C.L एवं H.P.C.L द्वारा राज्य में आवश्यकता से एक तिहाई विटुमेन की ही आपूर्ति की जा रही है।

3. विटुमेन का क्रय संवेदक के द्वारा किया जाना है, एवं कार्य में उपयोग किया जाता है। संवेदक किसी सामग्री का क्रय कहाँ से करें, इस पर नियंत्रण का कोई स्पष्ट प्रयोजन नहीं है। विभाग की आवश्यकता यह है कि जो विटुमेन अथवा अन्य सामग्री का उपयोग संवेदक के द्वारा किया जाय, उसकी गुणवता निर्धारित मापदंड के अनुरूप हों। इसके लिए विभाग के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्येक प्रमंडल में है एवं सामग्रियों की जाँच करने के उपरान्त ही उसके उपयोग की अनुमति दी जाती है।

4. उपरोक्त बिन्दु को मदेनजर रखते हुये वर्तमान व्यवस्था में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :–

I. (क) विटुमेन का क्रय राष्ट्रीयकृत तेल कंपनी से ही की जायगी, परन्तु यदि विटुमेन राज्य में स्थित डम्प में उपलब्ध नहीं हो तो निकटवर्ती राज्य में उपलब्ध डम्प अथवा refinery से संवेदक सीधे क्रय कर सकते है।

(ख) एकरारनामा के अधीन कार्य विशेष के लिए कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय तेल कम्पनी संवेदक के पक्ष में डेलीवरी ऑर्डर निर्गत करेंगे और तदनुसार संवेदक राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनी से विटुमेन प्राप्त करेंगे।

(ग) वर्तमान में यह बंधेज है कि मात्र पैक्ड विटुमेन का ही क्रय किया जाय। इसका भी कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार बल्क विटुमेन (Bulk Bitumen) की क्रय की अनुमति की जाती है– परन्तु इसके साथ शर्त यह रहेगा कि (Bulk Bitumen) का tenker आते ही तुरंत इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को दिया जायगा एवं कार्य0 अभि0 द्वारा quality check करने के उपरान्त ही संवेदक उसका भंडारण एवं उपभोग करेगें। विटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर उसकी जाँच हो जानी चाहिए। प्राप्त bulk bitumen का उपयोग अधिकतम एक माह के अंदर कर लिया जाना होगा। भंडारित बल्क विटुमेन के उपयोग के पूर्व पुनः उसका गुण नियंत्रण जाँच किया जाएगा एव specification के अनुरूप पाये जाने पर ही उसके उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

II. संवेदक द्वारा विटुमेन आपूर्ति होने पर इसकी गुणवता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नवत कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाएगी :–

(क) एकरारनामा में ही विटुमेन से संबंधित उपर्युक्त संगतशर्तें जोड़ी जाय तथा संवेदक द्वारा तदनुसार विटुमेन का क्रय किया जाएगा।

(ख) संवेदक को विटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर कार्यपालक अभियंता को क्रय के दस्तावेजी प्रमाण–पत्र के साथ सूचना देना होगा।

(ग) एकरारनामा में ही विटुमेन की प्रमुख specification जैसे ग्रेड, softening point, solubility आदि का उल्लेख किया जाएगा। संवेदक से अपेक्षा की जाएगी कि अपने यहाँ गुण नियंत्रण जाँच की व्यवस्था रखें। विभाग द्वारा भी स्वतंत्र रूप से गुणवता की जाँच की जाएगी। कार्य0 अभि0 की पूर्वानुमति से ही संवेदक द्वारा उक्त विटुमेन को कार्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कंडिका 4 (I) (II) में निरूपित व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी तथा उसके फलाफल एवं अनुभवों के आलोक में निर्णय लिया जाएगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 3/7/07

संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

3/7/07

ज्ञापांक– 7/अल-5-03/03-7897(5)

दि0 03-07-07

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे यह भी अनुरोध है कि राजपत्र की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग को 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी भेजने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(5)

दि0 03-07-07

प्रतिलिपिः– मुख्य महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0) बिहार। प्रमुख महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(5)

दि0 03-07-07

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल का0 लि0 (मार्केटिंग डिविजन) मौर्या कम्पलेक्स, डाकबंगला रोड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्तुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0, जमशेदपुर, डायरेक्टर सेल्स, क्षेत्रीय कार्यालय वर्मा माईन्स रोड, पी0 ओ0, टाटानगर, जमशेदपुर, 831001/ एच0 ओ0 वी0 पी0 एस0 ए0, एच0 पी0 सी0 एल0, लोकनायक जय प्रकाश भवन, छठी तल्ला, डाकबंगला रोड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत पे0 का0 लि0, पुराना बाजार, रेलवे सिनेमा रोड, धनबाद–826001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(5)

दि0 03-07-07

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ विशेष पदा0 (या0), प0 नि0 वि0, बिहार, पटना। निदेशक (क0 एवं परि0) प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/उप निदेशक (क0 एवं परि0) प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ प्रशाखा–9, प0 नि0 वि0/सभी मुख्य अभि0 (सभी उपभाग)/मुख्य अभि0 (अनुश्रवण)/सभी अधीक्षण अभी0 एवं सभी कार्य0 अभि0 (रा0 उ0 प0 सहित), प0 नि0 वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(5)

दि0 03-07-07

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदा0, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव